तारीख हुक्म	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजसमन्द **राहुल बनाम शूरवीर सिंह व अन्य** **425 / 2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री अणुजित मुख्या उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री प्रशांस पुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र टीलावत उपस्थित। अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 166 (3) मोटर वाहन अधिनियम व अन्तर्गत ओदश 7 नियम 11 व धारा 151 दिवानी प्रक्रियां संहिता पेश किया गया, जिसकी नकल विपक्षी को दिलाई गई। विपक्षी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस करना चाहा। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिये यह तर्क दिया गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166(3) में मोटरयान (संशोधन अधिनियम) 2019 के संशोधन द्वारा यह अंतस्थापित किया गया है कि प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तबतक ग्रहण नहीं किया जायेगा जबतक कि उसे दुर्घटना के होने से 6 मास के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो। अप्रार्थी बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त संशोधन दिनांक 01.04.2022 से प्रवृत्त हुआ है इसलिए हस्तगत क्लेम प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है क्योंकि वह दुर्घटना की दिनांक से 6 मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि राजस्थान मोटरयान नियम 1990 की धारा 10.28 में यह प्रावधान किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के कौनसे उपबंध दावाधिकरण के समक्ष की कार्यवाही पर यथासंभव प्रयोग में लाये जायेंगे और उसमें आदेश 7 नियम 11 का उल्लेख नहीं है अर्थात् आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता दावाधिकरण के समक्ष की कार्यवाही पर लागू नहीं होती। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी तर्क रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166(3) में याचिका प्रस्तुत करने की अवधि 6 मास होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके पश्चात् क्लेम याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती बल्कि उचित कारण होने पर याचिका प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क दिये गये कि दुर्घटना की दिनांक के 6 मास की अवधि के भीतर क्लेम याचिका प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसके बाद क्लेम याचिका स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसा कोई प्रावधान मोटरयान (संशोधन अधिनियम) 2019 के संशोधन द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दावाधिकरण अपने विवेक से उचित कारण होने पर देरी को क्षमा कर सकता है और इस हेतु प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है, जिस पर दावाधिकरण को विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध कर निर्णय करना चाहिए। हमने उभयपक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया। यह सही है कि राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में किये गये प्रावधान के अनुसार आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता दावाधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाही पर लागू नहीं होता, लेकिन कोई भी क्लेम याचिका जो दावाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई हो वह मियाद अवधि में है अथवा नहीं, इसका संज्ञान दावाधिकरण द्वारा अवश्य लिया जा सकता है और यदि विपक्षी द्वारा इस बिंदु पर एतराज किया जाता हो तो उसका निस्तारण भी दावाधिकरण द्वारा किया जाना होता है।	

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJRS050004792024/truecopy/order-1.pdf

प्रार्थी द्वारा क्लेम याचिका प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा करने की प्रार्थना करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जिस पर भी दावाधिकरण को गौर करना है। ऐसी स्थिति में यह न्यायसंगत होगा कि अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा किये गये उक्त एतराज पर विवाद्यक कायम किया जाकर निर्णय के समय अन्य विवाद्यकों के साथ इस बिंदु पर भी निर्णय किया जावे। अतः यह आदेश दिये जाते हैं कि मियाद अवधि के बाबत पृथक से विवाद्यक विरचित किया जाकर उसका निर्णय भी अन्य विवाद्यकों के निर्णय के साथ किया जावे। प्रार्थना पत्र अप्रार्थी बीमा कम्पनी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जवाब विपक्षीगण दिनांक **23.05.2025** को पेश हो।

(अश्विनी कुमार यादव)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दवा अधिकरण
राजसमन्द

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJRS050004792024/truecopy/order-1.pdf